अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

राजकोषीय घाटे के प्रबन्धन संबंधित विषय को अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों में महत्व मिला, जब संघ और राज्य सरकारों का संयुक्त घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर पहुंच गया था। वर्ष 1999-2000 में, सघं और राज्य सरकार का संयुक्त राजकोषीय घाटा, जीडीपी के 9.8 प्रतिशत पर रहा जबकि राजस्व घाटा 6.8 प्रतिशत था।

संघ का राजकोषीय घाटा जो अस्सी के दशक के पूर्वाद्ध में जीडीपी के 6 प्रतिशत से अधिक था, इसके उत्तरार्द्ध में और बढ़ गया और वित्तीय वर्ष (वि.व.)1986-87 के अन्त में लगभग 9 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह घाटा वि.व. 1990-91 में लगभग 8.3 प्रतिशत हो गया। 1994-99 की अवधि के दौरान, संघ का औसत राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत से अधिक था। इसके अतिरिक्त, संघ की कुल ऋण देयता 1994-95 में ₹6,30,071 करोड़ से बढ़ कर 1998-99 में ₹10,12,486 करोड़ हो गई, जो 61 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था पर लगातार तनाव तथा स्वीकार्य सीमा के भीतर राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता की दृष्टि से संघ सरकार ने जनवरी 2000 में राजकोषीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को देखने और राजकोषीय उत्तरदायित्व पर मसौदा कानून की अनुशंसा करने के लिए एक समिति स्थापित की। समिति की अनुशंसा के आधार पर दिसम्बर 2000 में सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्त और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) बिल की प्रस्तावना की जोकि अगस्त 2003 में अधिनियम बन गया।

1.2 राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 तथा नियमावली, 2004

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 का उद्देश्य एक संतुलित बजट बना कर वित्तीय अनुशासन का संस्थानीकरण करना, राजकोषीय घाटा घटाना, बृहद-आर्थिक प्रबंधन तथा सार्वजनिक निधियों के समग्र प्रबंधन को सुधारना था। अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत बनाई गई एफआरबीएम नियमावली

2004, जुलाई 2004 में लागू हुई। एफआरबीएम अधिनियम, केन्द्र सरकार की निम्नलिखित जिम्मेवारियों के निर्वाह हेतु बनाया गया था:

- ✓ मौद्रिक नीति की प्रभावी रूप से व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके और उसमें राजकोषीय बाधाओं को हटा कर राजकोषीय प्रबंधन तथा दीर्घावधि बृहद आर्थिक स्थिरता में अन्तर पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करना;
- ✓ केन्द्र सरकार के उधारों, ऋण तथा घाटों पर सीमाओं के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन;
- ✓ केन्द्र सरकार के राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाना; तथा
- ✓ मध्यावधि ढांचे में तथा उससे संबंधित अथवा उसके समान मामलों के लिए राजकोषीय नीति लागू करना।

उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए, एफआरबीएम अधिनियम व नियमावली में प्रमुख वित्तीय संकेतकों के संबंध में संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रावधान था।

बॉक्स-1: विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के लिए लक्ष्य

राजकोषीय संकेतक	लक्ष्य
राजस्व घाटा (आरडी)	31 मार्च 2008 तक आरडी को समाप्त करना तथा उसके पश्चात् पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाना। आरडी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, 2004-05 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आरडी को जीडीपी[1] के 0.5 प्रतिशत अथवा अधिक से घटायेगी।
राजकोषीय घाटा (एफडी)	31 मार्च 2008 के अन्त तक एफडी को जीडीपी के अधिकतम तीन प्रतिशत तक नीचे लाना। एफडी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, 2004-05 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में एफडी को जीडीपी के 0.3 प्रतिशत अथवा अधिक से घटाएगी।
गारंटियां	सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 से किसी वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत से अधिक राशि की गारंटियां नहीं देगी।

[1] एफआरबीएम नियमावली के अनुसार जीडीपी का अर्थ है वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद

देयताएं	सरकार वि.व. 2004-05 के लिए जीडीपी के 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताएं (चालू विनियम दर पर बाह्य ऋण सहित) नहीं धारण करेगी। तथा प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में, 9 प्रतिशत की सीमा जीडीपी के आनुक्रमिक रूप से कम से कम जीडीपी के एक प्रतिशत तक घटा दी जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक से उधार	अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से केन्द्रीय सरकार द्वारा उधार पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।

टिप्पण- 2004-05 से 2014-15 तक वित्तीय संकेतकों की स्थिति को अनुबंध-3.1 में दिखाया गया है। देयताओं के संबंध में आंकड़े तालिका-7 व ग्राफ-5 में उपलब्ध हैं तथा गारंटी के संबंध में स्थिति ग्राफ-6 में उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमावली में अपेक्षित है कि सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान मांगो के साथ संसद के दोनो सदनों में निम्नलिखित तीन विवरण प्रस्तुत करेगी जैसाकि नीचे **बॉक्स-2** मे संक्षिप्त रुप से विवरण दिया गया है।

बॉक्स -2: राजकोषीय नीति विवरणियाँ

मध्यावधि वित्तीय नीति (एमटीएफपी) विवरण	राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय के बीच शेष से संबंधित स्थिरता से संबंधित मूल्याकंन सहित आधारभूत मान्यताओं के विनिर्देशनों सहित जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व तथा कुल बकाया देयताओं, वित्तीय संकेतकों अर्थात आरडी, एफडी के लिए तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्यों से निहित एमटीएफपी विवरण; उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बाजार उधारों सहित पूंजीगत प्राप्तियों का प्रयोग।
वित्तीय रणनीति (एफपीएस) विवरण	कराधान, व्यय, बाजार उधारों तथा अन्य देयताओं, उधार तथा निवेश, संचालित माल तथा सेवाओं के मूल्यनिर्धारण, प्रतिभूर्तियों तथा अन्य क्रियाकलापों आदि, वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों की तुलना में वर्तमान नीतियों के मूल्यांकन, वार्षिक लक्ष्यों तथा बजट अनुमानों (बीई) के संबंधित प्राप्तियों तथा व्यय में प्रवृतियों के निर्धारण हेतु अन्तवर्षीय बैंचमार्कों से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार की नीतियों से निहित एफपीएस विवरण।
बृहद आर्थिक ढांचा (एमएफ) विवरण	शेष भुगतान के चालू खाते में प्रदर्शित जीडीपी में वृद्धि के निर्धारण, सरकार के वित्तीय शेष तथा अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र शेष से निहित एमएफ विवरण।

8 जुलाई 2004 के बजट व्याख्यान में, यह उजागर किया गया था कि 2008-09 अधिक विश्वसनीय आखिरी वर्ष होगा जो उस समय की सरकार की अवधि से भी मेल खाता होगा। तद्नुसार, वित्त अधिनियम, 2004 के माध्यम से एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4 में संशोधन किया गया था जिससे राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे की लक्षित तिथियों को 31 मार्च 2009 तक परिवर्तित किया गया था।

1.3 एफआरबीएम अधिनियम का अस्थाई निलबंन

वि.व. 2005-06 से राजकोषीय घाटे ने सुधार के संकेत दर्शाए और यह वि.व 2007-08 में जीडीपी के 2.7 प्रतिशत **(**बजट एक नजर में के अनुसार**)** के स्तर तक घट गया था (पैरा 3.2.2 का ग्राफ 2 देखे)। फरवरी 2009 में, सरकार ने वैश्विक आर्थिक संकट तथा प्रतिकूल परिस्थितियों का हवाला देते हुए राजकोषीय समेकन प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी। दो वित्त वर्षों अर्थात् 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ कर पुन: जीडीपी का क्रमश: 6.0 तथा 6.4 प्रतिशत **(**बजट एक नजर में के अनुसार**)** हो गया। इस अवधि के दौरान सरकार की बकाया देयता**,** जीडीपी के 49 से 50 प्रतिशत पर मंडराती रही (पैरा 3.4.2 का ग्राफ-5 देखे)

1.4 संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत नवीकृत रोड-मैप

13वें वित्त आयोग (एफसी) ने 2010-15 की अधिनिर्णय अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट (दिसम्बर 2009) में केन्द्र हेतु नवीकृत राजकोषीय वित्तीय समेकन पथ प्रस्तुत किया था। 13वें एफसी ने राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लिए क्रमश: शून्य तथा तीन प्रतिशत लक्ष्यों की सिफारिश की जो मार्च 2014 के अंत तक प्राप्त किए जाने थे जिसके पश्चात 2014-15 तक जीडीपी के 0.5 प्रतिशत राजस्व अधिशेष तक अनुसरण किया जाना था।

संसद द्वारा मई 2012 में एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन पारित किया गया जिसमें 'प्रभावी राजस्व घाटा' नामक एक नया वित्तीय संकेतक शुरू किया गया जिसका परिकलन राजस्व घाटे से 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानो पर किए गए राजस्व व्यय को हटाकर किया जाना था। इसके अतिरिक्त**,** इसमें 31 मार्च 2015 तक प्रभावी राजस्व**,** घाटे को समाप्त करने तथा अन्य उपायों के साथ 31 मार्च 2015 तक जीडीपी के अधिकतम दो प्रतिशत के राजस्व घाटे पर पहुंचने पर भी संशोधन किया गया। इसके

अलावा प्रभावी राजस्व घाटे को 31 मार्च 2015 तक समाप्त करने के लिये, केन्द्र सरकार वि.व. 2013-14 की शुरूआत से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में से 0.8 प्रतिशत या अधिक से घटायेगी।

अधिनियम में मई 2012 के संशोधन के पश्चात् सरकार ने डा. विजय एल केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में मध्यावधि संशोधन प्रस्तावित करने तथा 13वें एफसी की शेष समय सीमा के लिए इस आधार पर मध्यावधि ढांचे की रूपरेखा तैयार करने का कार्य भी सौंप दिया गया। केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट (सितम्बर 2012) में वि.व. 2014-15 के अन्त तक शून्य प्रभावी राजस्व घाटे; दो प्रतिशत राजस्व घाटे तथा 3.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के राजकोषीय ढ़ांचे की सिफारिश की थी।

व्यय तथा प्राप्तियों पर प्रस्तावित सुधारों के संबंध में समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई (अक्टूबर 2012)। तथापि, सरकार ने 2016-17 तक जीडीपी के 3 प्रतिशत के वित्तीय घाटे को प्राप्त करने का निर्णय लिया (मई 2013)। तदनुसार वित्तीय समेकन हेतु नए लक्ष्य दर्शाने वाली एफआरबीएम नियमावली में संशोधन मई 2013 में अधिसूचित किए गए जिनके द्वारा प्रभावी राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजस्व घाटे को जीडीपी के अधिकतम दो प्रतिशत के स्तर पर प्राप्त करने की लक्षित तिथि 31 मार्च 2015 तथा जीडीपी के अधिकतम तीन प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लिए लक्षित तिथि 31 मार्च 2017 नियत की गई। वित्तीय संकेतकों में क्रमिक कटौती की वार्षिक दरें भी बढ़ा दी गई (राजस्व घाटा जीडीपी का 0.5 प्रतिशत या अधिक से जीपीडी का 0.6 प्रतिशत या अधिक और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 0.3 प्रतिशत या अधिक से जीपीडी का 0.5 प्रतिशत या अधिक)। जून 2015 में, एफआरबीएम नियमावली में पुन: संशोधन द्वारा तीनों वित्तीय संकेतकों का स्तर 31 मार्च 2018 तक प्राप्त करना लक्षित किया गया था तथा क्रमिक कटौती की वार्षिक दर, मई 2013 में किए गए ऊपर की ओर के संशोधन के विपरीत कम कर दी गई थी। (राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6 प्रतिशत या अधिक से जीपीडी का 0.4 प्रतिशत या अधिक और राजकोषीय घाटा जीडीपी का 0.5 प्रतिशत या अधिक से जीपीडी का 0.4 प्रतिशत या अधिक तथा प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.8 प्रतिशत या अधिक से जीपीडी का 0.5 प्रतिशत अधिक)।

1.5 संशोधित एफआरबीएम अधिनियम तथा संघ सरकार के दायित्व

2003 में अधिनियम के लागू होने तथा समय समय पर अधिनयम तथा नियमावली में किए गए नवीनतम संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के लिए लक्षित तिथियों की स्थिति, अधिनियम (मई 2015 तक) तथा नियमावली (जून 2015 तक) की वर्तमान स्थिति के अनुसार **बॉक्स-3** में नीचे दर्शाया गया है।

बॉक्स-3: विभिन्न राजकोषीय संकेतको के लिए संशोधित लक्ष्य

संकेतक	लक्ष्य
प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी)	ईआरडी को वि.व. 2015-16 से शुरू प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत अथवा अधिक के बराबर वार्षिक कटौती के साथ 31 मार्च 2018 तक समाप्त किया जाना है।
राजस्व घाटा आरडी (आरडी)	आरडी को वि.व. 2015-16 से शुरू प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत अथवा अधिक अधिक के बराबर राशि तक वार्षिक कटौती के साथ 31 मार्च 2018 तक जीडीपी के अधिकतम दो प्रतिशत तक लाया जाना है।
वित्तीय घाटा एफडी (एफडी)	एफडी को वि.व. 2015-16 से शुरू प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में जीडीपी के 0.4 प्रतिशत अथवा अधिक के बराबर राशि तक वार्षिक कटौती के साथ 31 मार्च 2018 के अन्त तक जीडीपी की अधिकतम तीन प्रतिशत तक लाया जाना है।।

अधिनियम के आरम्भ से गारंटियों, कुल देयताओं तथा आरबीआई से उधारों से संबंधित लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। (**बॉक्स-1** में दर्शित)। संशोधित एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमावली[2] में यह भी अपेक्षित है, कि सरकार, संसद के उस सत्र जिसमें अन्य तीन नीति विवरण रखे गए थे, के तत्काल बाद (**बॉक्स-2** में दर्शित) संसद के दोनो सदनों के समक्ष एक अन्य विवरण अर्थात मध्यावधि व्यय ढांचा विवरण निम्नलिखित सूचना सम्मिलित करते हुए रखे।

[2] एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 एवं 7 तथा एफआरबीएम नियमावली का नियम 6

मध्यावधि व्यय ढांचा (एमटीईएफ) विवरण	आधारभूत मान्यताओं तथा अंतर्ग्रस्त जोखिम के विनिर्देशनों सहित निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य से निहित एमटीईएफ विवरण।

इसके अतिरिक्त, एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमावली (समय-समय पर यथासंशोधित) में निर्धारित फॉर्मेट में त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य प्रकटन रखना अपेक्षित है जिनकी चर्चा **अनुबन्ध-1.1** में की गई है।

1.6 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

13वीं एफसी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि केन्द्र, एफआरबीएम प्रक्रिया के कार्यान्वयन की स्वतंत्र समीक्षा और मॉनीटरिंग की प्रक्रिया शुरू करे। तदनुसार, एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन द्वारा (मई 2012) एक नई धारा 7ए शामिल की गई थी जिसमें यह प्रावधान है कि **केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों की आवधिक समीक्षा, जैसा अपेक्षित हो, सीएजी को सौंप सकती है तथा उक्त समीक्षा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएंगी।** मई 2012 में किए गए अधिनियम में संशोधन के प्रभाव को देखते हुए, अक्टूबर 2015 में नियमावली में संशोधन किया गया। संशोधित नियमावली में यह प्रावधान है कि सीएजी वित्तीय वर्ष 2014-15 से अधिनियम के प्रावधानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करेगा। इस समीक्षा में निम्नलिखित बाते शामिल होगी:

(i) अधिनियम तथा इसके तहत निर्मित नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं की प्राप्ति और अनुपालन, मध्यावधि नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, बृहद आर्थिक ढांचा विवरण तथा मध्यावधि व्यय ढांचा विवरण का विश्लेषण;

(ii) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के संबंध में प्राप्तियों, व्यय एवं बृहद-आर्थिक प्राचलों में प्रवृतियों का विश्लेषण;

(iii) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभाव रखने वाले राजस्व, व्यय,

प्राप्तियों अथवा देयताओं के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियां; तथा

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके राजकोषीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए प्रकटनों का विश्लेषण।

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य यह जांच करने के लिए थे कि:

क) अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है;

ख) सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम तथा उनके अधीन बनाई गई नियमावली में लक्ष्य प्रभावी रूप से प्राप्त किया;

ग) व्यय, परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण स्थापित नियमों तथा सिद्धांतों के अनुरूप है;

घ) विभिन्न राजकोषीय नीति विवरणों में प्राप्ति एवं व्यय के घटकों के प्रक्षेपण साकार पूर्वानुमान पर आधारित है; तथा

ङ) राजकोषीय संबंधी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रकटीकरण समुचित हैं।

1.8 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली 1961 के अनुसार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग, केन्द्रीय व रेलवे बजट के बनाने के अलावा अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदानों, केन्द्रीय सरकार की बजटीय स्थिति की मॉनीटरिंग, क्रेडिट, राजकोषीय व मौद्रिक नीतियां, बजटीय स्थिति की निगरानी के कार्यों सहित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 सहित भारत सरकार के अन्य कार्यों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।

तदनुसार, दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016 की अवधि के दौरान फील्ड लेखापरीक्षा संचालित की गई। इस अवधि के दौरान, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामला विभाग के अभिलेखों की जांच की गई, उसके अंतर्गत

एफआरबीएम अधिनियम एवं नियमावली और समय-समय पर किए गए संशोधन की जांच; वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारित प्रपत्र डी-1 से डी-6 में प्रकटन की जांच जिसे वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बजट के साथ प्रस्तुत किया गया और अन्य बजट एवं लेखा संबंधी प्रकाशनों की जांच शामिल थी।

जैसाकि पैरा 1.6 में बताया गया, केन्द्र सरकार द्वारा एफबीआरएम अधिनियम और नियमवाली के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक संवीक्षा करने के लिए सीएजी, वर्ष 2014-15 से प्राधिकृत है। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में वित्त वर्ष 2014-15 से संबंधित लक्ष्यों और लेनदेन पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है। हालांकि, 2014-15 से पूर्व और बाद के वर्षों की अवधि से संबंधित मामलों की जांच आवश्यतानुसार की गई थी। इस विषय पर 29 फरवरी 2016 को वित्त मंत्रालय को ड्राफ्ट प्रतिवेदन जारी किया गया था। 13 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के अधिकारियों के साथ एक्जिट कॉफ्रेंस की गई थी, जहां लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं की चर्चा की गई थी। मंत्रालय से जवाब प्राप्ति के पश्चात इन्हें खण्डन के साथ प्रतिवेदन में शामिल किया गया और संशोधित ड्राफ्ट प्रतिवेदन 23 मई 2016 को मंत्रालय को फिर से जारी किया गया। संशोधित ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर मंत्रालय से 24 जून 2016 को प्राप्त जवाब को भी इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा मानदण्ड

समीक्षा के लिए प्रयोग किए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड के मुख्य स्त्रोत निम्न दस्तावेज से लिए गए:

- एफआरबीएम अधिनियम, 2003, समय-समय पर यथा संशोधित।
- एफआरबीएम नियमावली, 2004, समय-समय पर यथा संशोधित।
- एफआरबीएम नियमावली के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विवरणियों सहित बजट दस्तावेज तथा वित्त संबंधी कार्यों में

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रकटीकरण।

- वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्टें।
- संघ सरकार के वित्त लेखे जिसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक द्वारा संकलित किया गया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा मानदंडों को निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग के प्रतिवेदनों, सार्वजनिक व्यय के प्रभावी प्रबंधन पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति और राजकोषीय समेकन पर अन्य समितियों के प्रतिवेदनों का भी अवलोकन किया गया है।

1.10 प्रतिवेदन की संरचना

मौजूदा प्रतिवेदन वि.व. 2014-15 हेतु सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए एफआरबीएम (संशोधन) नियमावली 2015 के नियम 8 के अनुसार सीएजी द्वारा प्रथम वार्षिक समीक्षा है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की अध्याय 2 से 5 में चर्चा की गई है।

- इस प्रतिवेदन का अध्याय 2 उन मुद्दों के बारे में बताता है जहां अधिनियम और नियमों से विपथन पाए गए थे।
- अध्याय 3, अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वि.व. 2014-15 के दौरान विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि की सीमा का विश्लेषण करता है।
- अध्याय 4, वि.व. 2014-15 के लिए संघ सरकार की प्राप्ति और व्यय की तुलना में विभिन्न राजकोषीय नीति विवरणियों, बजट एक नजर में वार्षिक वित्तीय विवरणी तथा संघ सरकार के वित्त लेखों में निहित अनुमानों की जांच करता है।
- अध्याय 5 में अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अनिवार्य प्रकटन की पर्याप्तता और सटीकता से संबंधित अभ्युक्तियां निहित है और राजकोषीय कार्यों में पारदर्शिता के मामले भी है।